(23)

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1940 (श0)

संख्या 26 पटना, बुधवार,——————

27 जून 2018 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-17
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	18-18
पूरक	---
पूरक-क	19-23

संहिता के नियम–230 एवं 248(क) के तहत दिनांक 07.07.16 से 20.07.16 तक उपार्जित छुट्टी स्वीकृत की जाती है । इनके उपार्जित छुट्टी कोष में शेष 286 दिनों का छुट्टी संग्रहित है । साथ ही अर्द्धवैतनिक छुट्टी कोष में शेष 678 दिनों की छुट्टी संग्रहित है ।

आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना

अधिसूचना
21 जून 2018

सं0 नि0वि0/विविध–गृह–239/2017–2346––माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नं0–25634/2017 प्रमोद कुमार सैनी बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित कर आलमगंज थाना कांड संख्या–230/2016 का अग्रतर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से आलमगंज थाना कांड संख्या–230/2016 के अधिग्रहण एवं अनुवर्त्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं
15 जून 2018

सं0 15/एम 1–38/2014–1066––बिहार राज्य के रोहतास जिलान्तर्गत निजी क्षेत्र में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, सासाराम की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट, जमुहार, सासाराम से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्त्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट, जमुहार, सासाराम को बिहार राज्य के रोहतास जिलान्तर्गत निजी क्षेत्र में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, सासाराम के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, सासाराम के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उतराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, अपर सचिव।

----

15 जून 2018

सं0 15/एम 1–44/2015–1065––बिहार राज्य के कटिहार में निजी क्षेत्र में अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय अल–करीम एजुकेशनल ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्त्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत अल–करीम एजुकेशनल ट्रस्ट को बिहार राज्य के कटिहार में निजी क्षेत्र में अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।